निर्णय बाईजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या : 4/20
दायरा दिनांकः 0610.2020

उनवान

1. आयुक्त, नगर परिषद् बारां।

– वादीगण

बनाम

1. गिर्राज बाई पत्नि हेमराज गोस्वामी निवासी बाण्डाजी की टेक, बारां जिला बारां
2. सुनील नामदेव पुत्र कैलाशचंद नामदेव निवासी बाण्डाजी की टेक, बारां जिला बारां
3. मीना गोस्वामी पत्नि दुर्गेश गोस्वामी निवासी बाण्डाजी की टेक, बारां जिला बारां
4. गीता बाई पत्नि देवेन्द्र शर्मा निवासी बाण्डाजी की टेक, बारां जिला बारां

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा **133 CRPC**

::: निर्णय :::

दिनांक : 17.03.2021

आयुक्त, नगर परिषद्, बारां की ओर से पत्रांक दिनांक 21.09.2021 से अवगत करवाया कि बांडाजी की टेक, हठीले भैरूजी के पास स्थित गिर्राज बाई पत्नि हेमराज गोस्वामी सुनील नामदेव पुत्र कैलाशचंद नामदेव, मीना गोस्वामी पत्नि दुर्गेश गोस्वामी,, गीता बाई पत्नि देवेन्द्र शर्मा व अन्य के मकान काफी जीर्ण–षीर्ण अवस्था मे है जो कभी भी गिर सकते है जिससे जान माल की क्षति हो सकती है।

प्रकरण प्रथम दृष्ट्या लोक बाधा का होने से नियमानुसार धारा 133 **CRPC** अंतर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। जो निम्न प्रकार है–

अप्रार्थी कम सं.1,2,3 द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र पेष कर अवगत करवाया कि दिनांक 14.08.2021 को अकस्मात् झटका लगने के कारण मकान की दीवारों मे दरारें आ गयी है। उक्त मकान गिरने की पूर्ण संभावना है। नगर परिषद् मकान को ध्वस्त कराना चाहे तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी कम सं. 2 ने अवगत करवाया कि अप्रार्थी ने हैसियत अनुसार क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत करवा ली है। अप्रार्थी मकान को ध्वस्त करवाने की स्थिति मे नही है। नगर परिषद् मकान को ध्वस्त कराना चाहे तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

इसके अलावा इनके मकानों के पास स्थित पुरुषोत्तम, भवानीषंकर, पुत्रगण मोहनलाल तथा महेन्द्र पुत्र हेमराज जाति गोस्वामी के मकान भी क्षतिग्रस्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:40:09 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

इस सम्बंध मे अन्य क्षतिग्रस्त मकानों बाबत नगर परिषद् बारां से गुणावगुण के आधार पर जांच रिपोर्ट मंगवायी गयी। नगर परिषद्, बारां की 19.10.20 के अनुसार अप्रार्थीगणों के अलावा रामनारायण पुत्र डूंगरमल, सुरेन्द्र पुत्र उजागर सिंह के मकान भी क्षतिग्रस्त बताये गये। इनको भी जर्ये नोटिस तलब किया गया।

रामनारायण द्वारा प्रस्तुत नोटिस के जवाब अनुसार प्रार्थीगण के समीप गिर्राज बाई पत्नि हेमराज गोस्वामी सुनील नामदेव पुत्र कैलाशचंद नामदेव के मकान ही जीर्ण–शीर्ण है। रामनारायण एवं सुरेन्द्र सिंह ने अपने–अपने मकानों का निर्माण स्वयं के स्तर से करवा लिया है। अन्य लोगों के मकान तोडने मे दोनों को कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थना पत्र के सम्बंध मे उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रों, जवाब, शपथ पत्रों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण सुनील नामदेव, रामनारायण, सुरेन्द्र सिंह ने कथन किया कि उन्होने अपने–अपने मकान की मरम्मत करवा ली है, या करा रहे है जो कि वर्तमान मे जेरकार है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण के उक्त सभी कथनों का अन्तिम रूप से निर्धारण नही होने एवं प्रकरण धारा 133 **CRPC** के लोकबाधा अंतर्गत कवर नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 133 **CRPC** के अंतर्गत लोकबाधा दण्ड प्रकिया संहिता मे कवर नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:40:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner